(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 50 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 11 जनवरी, 2023

विषयः– दिनांक 01.04.2023 से किए गए कच्चे सोयाबिन तेल के आयात हेतु प्रशुल्क दर कोटे को समाप्त करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–20 दिनांक 24.05.2022 और सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2015–20 दिनांक 14.06.2022 द्वारा पहले से यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.60 और 2.61 में संशोधन करते हुए कच्चे सोयाबिन तेल के आयात हेतु प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करते हैं:

<table>
<tr><th>पैरा</th><th>मौजुदा प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>2.60 (ख)</td>
<td>प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात नीचे दर्शाए गए अनुसार प्रतिवर्ष मात्रा तक वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान आबंटित होगा। उपर्युक्त टीआरक्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ भारत सरकार, वित्तमंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किए जाने वाले संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2022–सीमाशुल्क दिनांक 24.05.2022 के अनुसार अलग से लिया जाएगा।
<table>
<tr><th>मद विवरण</th><th>आईटीसी (एचएस)</th><th>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में</th></tr>
<tr><td>कच्चा सोयाबिन तेल, डिग्यूम्ड हो या नहीं</td><td>1507 10 00</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>कच्चा सूरज मुखी बीज तेल</td><td>1512 11 10</td><td>20,00,000</td></tr>
</table>
</td>
<td>प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात नीचे दर्शाए गए अनुसार केवल वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आबंटित होगा।
<table>
<tr><th>मद विवरण</th><th>आईटीसी (एचएस)</th><th>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में)</th></tr>
<tr><td>कच्चा सोयाबिन तेल, डिग्यूम्ड हो या नहीं</td><td>1507 10 00</td><td>20,00,000</td></tr>
</table>
प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात नीचे दर्शाए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान आबंटित होगा।
<table>
<tr><th>मद विवरण</th><th>आईटीसी (एचएस)</th><th>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में)</th></tr>
<tr><td>कच्चा सूरज मुखी बीज तेल</td><td>1512 11 10</td><td>20,00,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

सं. सारंगी

		उपर्युक्त टीआरक्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ भारत सरकार, वित्तमंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किए जाने वाले संबधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2022–सीमाशुल्क दिनांक 24.05.2022 के अनुसार अलग से लिया जाएगा।
2.61 (घ) (ix)	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जारी टीआरक्यू एक वर्ष की अवधि के लिए या 30 जून 2023 तक, जो भी पहले हो, आयात की निकासी के लिए वैध होगा। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए जारी टीआरक्यू 31 मार्च, 2024 तक आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे।	कच्चे सोयाबीन तेल के आयात के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी टीआरक्यू की वैधता, आईटीसी (एचएस) 15071000 के तहत **घटाकर 31.03.2023** कर दी गई है। 31.03.2023 को या उससे पहले के लदान बिल को कच्चे सोयाबीन तेल टीआरक्यू के तहत 30.06.2023 तक आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। आईटीसी (एचएस) 15121110 के तहत कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए टीआरक्यू एक वर्ष की अवधि के लिए या 30.06.2023 तक, जो भी पहले हो, आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए जारी टीआरक्यू 31.03.2024 तक आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः टीआरक्यू के तहत कच्चे सोयाबीन तेल के आयात की अंतिम तिथि को घटाकर 31.03.2023 कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कच्चे सोयाबीन तेल के लिए टीआरक्यू का कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी
11.1.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः–dgft@nic.in

(फा. नं. 01/89/180/36/एएम–14/पीसी–2(क)/भाग–II/ई–32035 से जारी)